ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 80-82

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की महिलायें (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

1. डॉ0 निखिलानंद ठाकुर
2. आनंदी कुमारी

शोध पर्यवेक्षक– प्राध्यापक समाजशास्त्र, बी०डी० कॉलेज, पटना, 2. शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र विभाग, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार), भारत

Received-18.07.2023, Revised-25.07.2023, Accepted-30.07.2023 E-mail: aaryvart2013@gmal.com

सारांशः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रम में इस बात का अनुभव किया गया है कि गाँवों के त्वरित विकास के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। इसी विचार से भारत सरकार ने श्री बलवंत राय मेहता कमेटी (1956) अशोक मेहता कमेटी (1978), एवं जी0वी0के0 राव कमेटी (1983) का गठन किया और इनकी सिफारिशों पर गम्भीर विचार किया गया। दुर्भाग्यवश 1988 तक पंचायतों की स्थिति निराशाजनक रही किन्तु वर्ष 1993 के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संसद एवं विधानसभाओं की तरह इसे लोकतंत्र की तीसरी कतार के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफी बड़े भाग में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी, लेकिन जहाँ तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, उनकी संख्या नगण्य रही है और कमजोर वर्गों की भागीदारी भी कुछ राज्यों में नाममात्र की रही। इस प्रकार 73 वें संविधान संशोधन के पूर्व ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं और कमजोर वर्ग की भागीदारी का प्रतिनिधत्व सुरक्षित नहीं था। अतः स्वतंत्रता के बाद भी वास्तविक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य 45 वर्षों तक अधूरा ही रहा।

कुंजीभूत शब्द– सामुदायिक विकास कार्यक्रम, त्वरित विकास, जनभागीदारी, निराशाजनक, संवैधानिक दर्जा, प्रतिनिधित्व।

पंचायती राज संस्था के माध्यम से त्वरित और गतिशील ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 73 वाँ संविधान संशोधन सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल, 1993 से लागू हो चुका है। उसे भारत में शक्तिशाली स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए स्वर्णिम युग की शुरूआत करने वाला क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इस संशोधन के माध्यम से अधिकांश राज्यों में संविधान संशोधन में किए गये प्रावधानों को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों में वाँछित संशोधनध्परिवर्तन कर लिए गये हैं और तद्नुसार पंचायतों का गठन भी कर लिया गया है। अब पंचायती राज संस्थाओं की बदली हुई भूमिका तथा विकास सम्बन्धी प्रशासन को नए ढंग से चलाने के सम्बन्ध में पंचायतों द्वारा स्वयं ही निर्णय लिया जा सकेगा। 73वें संविधान संशोधन के जरिए अब पंचायतों को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हो गया है। इससे सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था से उनके गठन में एकरूपता सुनिश्चित हो गई है। निध ार्रित पाँच वर्ष की अवधि में अथवा उनके विघटन की तिथि से छः माह के अन्दर पंचायतों के चुनाव करने की बाध्यता, सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोगों का गठन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करने, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सु.ढ़ बनाने, राज्यों के कोष से नियमित धनराशि के आवंटन को सुनिश्चित करने, राज्यवित्त आयोगों के गठन की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराने और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों पर सदस्यों एवं सभापतियों के पदों पर आरक्षण की वयवस्था जैसे अनेक प्रभावी उपाय किये गये हैं। महिलाओं के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों के तीनों स्तरों पर कम से कम एक–तिहाई पद उनके लिए आरक्षित कर दिये गये हैं जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार देश में पहली बार महिलाओं को पंचायतों के तीनों स्तरों पर कम से कम एक–तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि अब जिला स्तरीय पंचायतों के अध्यक्षों के रूप में लगभग डेढ़ सौ ब्लॉक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के रूप में लगभग दो हजार तथा ग्राम स्तर पर पंचायतों के प्रधान के रूप में एक लाख से भी अधिक महिलाएं पदारूढ़ हो सकेगी। इनमें से कुछ पदारूढ़ हो चुकी है और कुछ शीघ्र ही पदारूढ़ हो जायेंगी। इसी प्रकार ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य के रूप में लगभग पाँच लाख महिलाएं ग्राम विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुकी है। इससे ग्रामीण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया और विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को सीधे जुड़ पाने के अवसर प्राप्त हुए है और ग्रामीण विकास में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हुई है। साथ ही साथ प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर उनकी प्रभावी सहभागिता में वृद्धि करने हेतु पंचायतों के माध्यम से उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के कदम रखने से उनसे अनेक आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ गयी है। देश की आठवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 30 हजार करोड़ रूपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, साथ ही ग्रामीण लोगों को विशेषकर आर्थिक, सामाजिक .ष्टि से कमजोर लोगों के उन्नयन और विकास के लिए सदुपयोग कराने के उद्देश्य से इस विषय में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को अब नजर अंदाज नहीं किया जा सकेगा।

स्व० श्री राजीव गाँधी ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अनेक राज्यों में जाकर जिलाधीशों से बात की। इसके लिए क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये। ग्राम प्रधानों, सरपंचों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्षों के साथ भी संवाद स्थापित किया। जिलाधीशों, मुख्य सचिवों, भारत सरकार के सचिवों, राज्यों के पंचायती राज एवं स्वायत्त शासन मंत्रियों और फिर मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके पंचायत राज व्यवस्था के पूरे देश में लागू करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसके बाद सकारात्मक कदम उठाये गये। स्व० श्री राजीव गाँधी की पहल पर ही 1989 को "पंचायती राज और महिलाएं" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि पंचायती राज व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के बारे में महिलाओं की क्या राय है और वे स्वयं

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

इसमें किस हद तक भागीदार बनना चाहती है।

पंचायतों के लिए चुनी गई ये महिलाएं गाँव से सजग प्रतिनिधि के रूप में और भी अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकती है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली देश की लगभग तीन–चौथाई जनसंख्या में फैली घोर निरक्षरता की भयानकता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता का अनुपात काफी कम है। कुछ राज्यों में तो यह स्थिति और भी अधिक भयानक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता काफी कम है। ऐसी परिस्थिति में विशेष रूप से इन महिला निरक्षरता दूर करने हेतु जन–जागरण अभियान, व्यक्तिगत सम्पर्क, विद्यालयों की उपलब्धता, उनमें आवश्यक सुविधाएं जुटाने पर बल देकर तथा लड़कियों को विशेष रूप से विद्यालयों में नामांकित कराने और उनकी प्रगति पर विशेष ध्यान देने जैसे– आवश्यक कदम उठाकर सामाजिक उत्थान की दिशा में पहल करना जरूरी है। संविधान के प्रावधान के अनुसार महिला प्रतिनिधि बनकर तो आ गयी है, किन्तु जानकारी के अभाव में या कौशल के अभाव में अपने अधिकारों का उपयोग न कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से न निभा सके और पंचायतों में केवल नाममात्र की भागीदारी हो तो पंचायती राज के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगी। अतः इनमें नेतृत्व के विकास की भी आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं में नेतृत्व शक्ति विकसित कर उनकी तरफ ध्यान दिया जाये।

पंचायतों के लिए चुनी गयी महिला प्रतिनिधियों का एक और विशेष योगदान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने के क्षेत्र में अपेक्षित हैं। यद्यपि साक्षरता बढ़ने के साथ–साथ इन कार्यक्रमों की सफलता की दर में भी वृद्धि होगी, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी, विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपेक्षित लाभों का .ष्टिगत न हो पाना तथा स्वास्थ्य, रोजगार एवं आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करने में बाधा उत्पन्न होना आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश की जनसंख्या जो इस शताब्दी के प्रारम्भ में लगभग 23 करोड़ थी और 1951 तक जो केवल 36 करोड़ थी, वही अब बढ़कर लगभग 1 अरब 40 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अतः इसके लिए यदि महिला प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उनमें वाँछित जागृति उत्पन्न कर एवं उचित भावनाओं को प्रेरित कर नियोजित परिवार की संकल्पना को सार्थक बना सकती है।

अशिक्षित महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उनमें शिक्षा प्राप्ति के लिए ललक उत्पन्न की जा सके। इससे जहाँ एक ओर उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर स्वयं एवं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजगता, सफाई और स्वच्छता जैसे आवश्यक तत्वों के प्रति उनका ध्यान भी केन्द्रित किया जा सकेगा। साक्षरता के साथ–साथ उन्हें महिलाओं के अधिकारों एवं उन्हें प्राप्त विशेष कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दिया जाना आवश्यक होगा। इससे उन पर होने वाले अत्याचारों पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिल सकेगी।

आजकल एक और बुराई का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण का प्रचलन बड़े–बड़े शहरों से अब कस्बों तक जा पहुंचा है। लड़का प्राप्ति की चाह में अब प्रतिदिन हजारों की संख्या में स्त्री–भ्रूणों को विकसित होने से पहले ही समाप्त किया जा रहा है। इस तरह देश में लगातार स्त्रियों के अनुपात में कमी आना, महिलाओं के कल्याण और विकास की दशा के में एक अशुभ संकेत है। 1901 में प्रतिहजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 972 थी, 1911 में घटकर 964 हो गयी। 1921 में 955, 1931 में 950 और 1941 में यह घटकर 945 हो गई। 1957 में इसमें कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, जो 951 अंकित की गई। इसकी दर 1961 में 941, 1971 में 930 तथा 1981 में 934 रही। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 929 रह गई महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट आने ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि देश में महिलाओं के अनुपात में वृद्धि हो। इसके लिए में केन्द्र सरकार ने एक कानून बनाकर लड़के अथवा लड़की का पता लगाने हेतु भ्रूण परीक्षणों पर रोक भी लगा दी है और इसका उल्लघंन करने वालों के लिए जुर्माना तथा कारावास की व्यवस्था की गई है तथा इस संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये पुरस्कार के रूप में दिये जाने की घोषणा भी सरकार ने की है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के चुने हुए महिला प्रतिनिधियों से विशेष सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा उनके सफल क्रियान्यवन में इन महिला प्रतिनिधियों द्वारा विशेष योगदान दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न से सम्पन्न बनाने हेतु वर्तमान में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जैसे–ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, महिला समाख्या योजना, महिला समृद्धि योजना, विशेषकर व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जन सामान्य का अनुभव है कि सरकारी स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई तो जा रहीं हैं, उन्हें क्रियान्वित भी किया जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वाँछित लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण इन योजनाओं की जानकारी का अभाव है। यदि जानकारी भी मिल जाती है तो अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वास्तविक लक्ष्य समूह के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों को प्रभावी बनाने में नवनिर्वाचित पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका हो सकती है।

समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोकने के लिए महिलाओं की अहम् भूमिका हो सकती है। अनियमित कार्य को करने वाले अथवा बढ़ावा देने वाले चाहे, जन प्रतिनिधि हों, गाँव के सम्भ्रान्त लोग हों अथवा सरकारी कर्मचारी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

अधिकारी हों, उनके द्वारा पंचायतों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों के प्रति पूरी पंचायत का ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है तथा जनतांत्रिक तरीके से विरोध भी प्रकट किया जा सकता है। आवश्कता पड़ने पर किसी भी संविधान सम्मत तरीके का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में इन महिला प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाना और इसके लिए पंचायतों की इन नवनिर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देना होगा। इस कार्य में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उनके निराकर के उपाय ढूंढने होगें। पंचायतों के माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर चुकी महिलाओं से जहाँ एक कुशल नेतृत्व की आशा की जाती है। वही राजनीति को प्रदूषण से अवमुक्त कराने की भी प्रबल अपेक्षा है। पंचायतों के निर्वाचन के बाद भी महिलाएं पहले की तरह मजदूरी व अन्य कार्य करती है, लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार आया है। यह सुधार महिलाओं में चेतना का प्रतीक है। कुछ शिक्षित महिलाओं ने सिलाई, ट्यूशन, कल्याण कार्यक्रमों आदि में भागीदारी जैसे काम करने भी शुरू कर दिये है।

ग्रामीण विकास के लिए तत्पर सरकारों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के क्रम में जो अधिकार महिलाओं को प्रदान किये उनका प्रभाव यह हुआ कि समाज में नारी प्रस्थिति पुरूष प्रस्थिति के बराबर हो गयी। विभिन्न क्षेत्रों कुछ महिलाओं ने पुरूषों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किये है। ग्राम पंचायतों के क्रम में जो भागीदारी महिलाओं को मिली उसका प्रभाव ग्रामीण समाज पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। यह बात और कि महिला जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करने की विभिन्न तरह की विपरीत परिस्थितियां भी अवरोधक के रूप में विद्यमान होती है यथा– अशिक्षा, अजागरूकता, पारिवारिक दायित्वों को अधिक महत्व देना, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, आत्मविश्वास की कमी आदि। इसके बावजूद विभिन्न तरह के विकास के स्रोतों–वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली (तर्क प्रधान), यातायात, संचार साधनों की सुलभता, सरकारी सहायता व अन्य साधनों ने महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जैसे तत्वों को जन्म दिया और परिणामस्वरूप महिलाएं आज जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण समाज की संरचना को काफी प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दोंध्समस्याओं की सम्पूर्ण जानकारी, सरकारी मशीनरी का पूर्ण सहयोग एवं नीतिगत मामलों की जानकारी महिला जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के सर्वागींण विकास के क्रम में वे अपने योगदान को रेखांकित कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Srinivas, M.N. (a) : The Changing positions of India Women, Oxford University press, Bombay, (1978). (b) : Social Change in modern India (1966) California press, Los Angeles. (USA).
2. Mathur, Deepa : Woman, Family and Work, Rawat Publications, Jaipur (1992).
3. Desai, Neera : Woman in Modern India, Vora and company, Bombay (1957).
4. Ahuja, Ram : Rights of Women: A feminist Perspective, Rawat Publications, Jaipur (1992) .
5. Pannikar, K.M. : Hindu Society at Cross roads. Page- 36.

*****